१. अध्याय प्रथम: शोध–परिचय

1.1. प्रस्तावना

1.2 स्त्री शिक्षा का इतिहास

1.3 वर्तमान में साक्षरता की स्थिति

1.4 नवीन प्रयास

1.5 शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009

1.6 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005

1.7 कस्तूरबा गांधीं बालिका विद्यालय

- 1.7.1 योजना के ध्यात्व्य बिंदु
- 1.7.2 योजना के घटक
- 1.7.3 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य
- 1.7.4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रमुख लक्ष्य
- 1.7.5 रणनीति एवं प्रचार–प्रसार
- 1.7.6 योजना का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन
- 1.7.7 योजना हेतु राज्य सहायता समूह
- 1.7.8 योजना हेतु राष्ट्रीय सहायता समूह

1.8 मध्यप्रदेश में कस्तूरबा बालिका विद्यालय

1.9 शोध कथन

1.10. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

1.11. शोध प्रश्न

1.12 अध्ययन के उद्देश्य

1.13. परिकल्पनाएँ

1.14 परिचालक परिभाषाएँ

1.15 अध्ययन का सीमांकन

अध्याय–प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना :

शिक्षा किसी भी समय, आधुनिक, उन्नत और विकसित कहे जाने वाले समाज का अनिवार्य लक्षण है और उसके बिना प्रगति कभी भी पूर्ण और बहुआयामी नहीं हो सकती है। शिक्षा का अर्थ अत्यन्त ही व्यापक है। 'शिक्षा' शब्द एजुकेशन का पर्यायवाची है। एजूकेशन शब्द लेटिन भाषा के एडूकेटम से बना है। 'ई' का अर्थ है अंदर से और 'केटम' का अर्थ है आगे बढ़ना अथवा अग्रसर होना। शिक्षा साक्षरता से भिन्न है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यम्तित्व को विकसित किया जाता है, जबकि साक्षरता के माध्यम से व्यक्ति को भाषा, वर्णमाला, अंक इत्यादि का ज्ञान दिया जाता है। संक्षेप में शिक्षा मात्र साक्षरता नहीं है। अपितु वह व्यक्ति के मन का अनुशासन् और उसके वैचारिक आयाम को द्विगुणीत करती है। कहा भी गया है–

'सा विद्या या विमुक्तये'

अर्थात् शिक्षा वही जो मुक्त करती है, मुक्ति का अर्थ सभी बंधनों, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों से मुक्ति पाना और नई समझ के साथ नई दृष्टी का निर्माण करने से है।

किसी भी राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में संयोजित होने वालें कारकों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कारक है। सुदृढ़ समाज के निर्माण में प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होगी उस पर खड़ी हुई ईमारत भी सुदृढ़ होगी।

प्रारंभिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की आरम्भिक कड़ी व आधारशिला है प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा का मुख्यतः एक ही अर्थ है। यद्यपि समय–समय पर लेखकों, समितियों, आयोगों ने विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया है।

6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा प्राथमिक-शिक्षा के अन्तर्गत आती है। जो कक्षा प्रथम से कक्षा आठवीं तक चलती है। शिक्षा अवसर लाती है यह सत्य है, किन्तु अवसर से शिक्षा आती है यह भी उतना ही सत्य है। संदर्भ यह है कि वर्तमान युग में बालक एवं बालिकाएँ दोनों ही समान अवसर के बराबर भागीदार है अतः सरकार ने भी बलिका शिक्षा को बढाने के लिए अनेक समितियों एवं आयोगों द्वारा प्रयास किए है जिससे बालिकाओं में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 21 में 6-14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक-शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात् शिक्षा के समान अवसर, सभी वर्गो के लिए है। समय-समय पर आयोगों का गठन कर शिक्षा आयोग 1964-66 में बालिकाओं के लिए विद्यालय खोले जाने एवं छात्रावास की सुविधा का प्रावधान है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 6-14 तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने एवं नामांकन बढ़ाने के लिए भौतिक सुविधाएँ जैसे छात्रावास की सुविधा, पुस्तकों की सुविधा एवं छात्रवृत्ति का प्रावधान है। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा शिक्षा के ऊपर उचित व्यय करके अवसर एवं उपलब्धि के स्तर को बढ़ाना है। जिसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-79 में शिक्षा पर 912 करोड़ रूपये खर्च किए गये, जिसमें से 317 करोड़ रूपये से प्राथमिक स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क मध्याह्न भोजन, पाठ्यपुस्तके, लेखन सामग्री वितरित की गई है। कुछ क्षेत्रों में आश्रम स्कूल खोले गये। बालिकाओं के लिए वेशभूषा वितरित की गई जिससे नामांकन में वृद्धि हुई एवं शैक्षिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए मार्ग प्राप्त हुआ। दुर्गा बाई देशमुख समिति 1958 में स्त्री शिक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण किये जाने का प्रावधान है। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान नवम्बर 2000 में 'सर्वशिक्षा अभियान' मंजूर किया गया जिसका लक्ष्य 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, 2007 तक सभी बच्चों को 8वीं तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना निश्चित किया गया है।

1.2 स्त्री शिक्षा का इतिहास

स्त्री शिक्षा का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना शिक्षा का इतिहास *अपितु यह कहा जा सकता* है स्त्री शिक्षा, शिक्षा का अभिन्न अंग है। प्राचीन काल में पुरूषों के समान स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार था। मध्यकाल में लगभग 600 वर्षो तक मुगलों ने भारत में शासन् किया और बाद में 150 वर्षो तक ब्रिटिश शासन् रहा। स्त्रतंत्रता के पश्चात् शिक्षा की बागडोर भारतीय हाथों में पुनः आ गई। घटनाक्रम ने स्त्री शिक्षा को भी समय-समय पर प्रभावित किया, जिसका वर्णन हम निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत कर सकते है।

- प्राचीनकाल
- बौद्धकाल
- मध्यकाल
- ब्रिट्शिकाल
- स्वतंत्रता के पश्चात्।

1.2.1 प्राचीन कालः-

प्राचीन काल जिसे हम वैदिक काल भी कहते है, में शिक्षा सर्वसुलभ थी। स्त्री एवं पुरूष दोनों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त था। प्राचीन काल की कई विदुषी महिलाएँ जैसे, मैत्री, लोपा, मुद्रा, गार्गी के नाम उल्लेखनीय है जो शास्त्रों की ज्ञाता थी।

1.2.2 बौद्ध काल :-

बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा ने नवीन आयाम प्राप्त किए। इस युग में नारी शिक्षा को उचित रूप में नियोजित किया गया था। स्त्रीयों को संघ मे प्रवेश करने एवं रूचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इस काल में विदुषी महिलाएँ संघमित्रा, शुभा, अनुपमा, सुमेघा थी तथा विजयकां को कालिदास के बराबर कवित्व प्रतिभा वाली माना जाता था।

1.2.3 मध्यकाल :-

इस काल में स्त्री शिक्षा मे असमानता व्याप्त होने लगी थी किन्तु उच्च वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा सुलभ थी। इसी कारण कुछ महिलाएँ जैसे गुलबदन बेगम, रजिया सुल्तान, नूरजहाँ, जहाँआरा, बेगम सलिमा सुल्ताना, का नाम विदुषी महिलाओं में लिया जाता है।

1.2.4 ब्रिटिश काल :-

ब्रिटिश काल में मिशनरीयों ने बालिका विद्यालय खोले एवं महान भारतीय समाज सुधारक जैसे राजाराम मोहन राय, पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि ने स्त्री शिक्षा की दयनीय स्थिति में सुधार के प्रयास किए। मिस मेरी कारपेन्टर अंग्रेज समाज सुधारिका के प्रयासों से सन् 1870 में महिला प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रथम प्रशिक्षण महाविद्यालय खोला गया। भारतीय शिक्षा आयोग (1882-83) के अंतर्गत बालिकाओं के लिए विद्यालय खोले गए। सन् 1961 में महर्षि करवे द्वारा बंबई में एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय खोला गया। इस काल में महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई। सन् 1946-47 में लड़कियों के लिए 21479 प्राइमरी स्कूल, 2370 सैकण्डरी स्कूल, 42288 व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थाएँ, 59 आर्टस एवं विज्ञान महाविद्यालय शिक्षण संस्थाएँ थी।

1.2.5 स्वतंत्रता के पश्चातः-

स्वतंत्रता के पश्चात संविधान में तथा अनेक योजनाओं तथा आयोगों द्वारा भारत सरकार ने स्त्री शिक्षा को दिशा प्रदान कर उसकी दशा में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि करने का प्रयास किया है।

- **संवैधानिक प्रावधान :-**

"संविधान की धारा 29 (2) के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने या किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा।"

- **राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958-59):-**

भारत सरकार ने स्त्री शिक्षा पर विचार करके विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया था जिसे दुर्गाबाई देशमुख समिति भी कहते है। जिसके अंतर्गत प्रस्तुत शोध अध्ययन से संबंधित आयोग के मुख्य सुझाव निम्नलिखित है:-

- प्रथम चरण में कक्षा 8 तक की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाए।
- प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं को अधिक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए और केन्द्रिय सरकार को प्रसार-संबंधी समस्त व्यवस्था का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।

- **हंसा मेहता समिति (1962):-** श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में इस समिति के अंतर्गत मुख्यतः बालक एवं बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए गए है-

- पहला सुझाव यह था कि विद्यालय स्तर पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अन्तर नहीं होना चाहिए।
- दूसरा सुझाव यह था कि भारत में अभी जनतन्त्रीय एवं समाजवादी समाज के सृजन की प्रतिक्रिया चल रही है, अतः ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जो पुरूषों एवं स्त्रियों के वर्तमान अंतर को स्थायी या अधिक स्थायी बना दें।

- **कोठारी आयोग (1964-66):-** उसके अंतर्गत दो प्रकार की स्त्री शिक्षा विकास योजना की ओर संकेत किया गया है-

- विशेष कार्य योजना लड़के व लड़कियों के मध्य व्यापक असमानता को समाप्त करना।

- सामान्य कार्य योजना द्वारा का अर्थ लडकियां की सभी स्तर एवं क्षेत्र की शिक्षा का विकास करना।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)**

  सन् 1951 से 1981 के मध्य महिलाओं में साक्षरता की दर 7.93 प्रतिशत से बढकर 24.82 प्रतिशत को गई थी किन्तु शिक्षा अभी तक महिलाओं की समानता के प्रति पर्याप्त योगदान नहीं कर सकी थी, अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की समानता के लिए निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किए गए:-

  - लड़कियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा समयबद्ध व चरणबद्ध कार्यक्रम में हो।

  - 1995 तक 15 से 35 आयुवर्ग की महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा का एक समयबद्ध व चरणबद्ध कार्यक्रम हो।

  - व्यवासायिक, तकनीकी, वृतिक शिक्षा तथा विद्यामान और प्राद्यौगिकी में महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाना।

- **आचार्य राममूर्ति समिति (1990)** - इसके अंतर्गत बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालय छात्रावास, छात्रवृत्ति, गणवेश, पाठ्यपुस्तकें, परिवहन, ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित करने की सिफारिशें प्रस्तुत की गई।

- **राष्ट्रीय महिला आयोग (1992)** - महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई।

- **जिला शिक्षा प्राथमिक कार्यक्रम (1994)** - यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को पूरा करना है वर्तमान में यह 123 जिलों में लागू है।

- प्रतिभाशाली बालिकाओं को आर्थिक सुविधाएँ प्रदान करने के उददेश्य से सन् 1997 में बालिका समृद्धि योजना प्रारंभ की गई।

1.3 वर्तमान में साक्षरता की स्थिति –

सरकार की विभिन्न योजनाओं ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जिससे बालिकाओं को शिक्षा के अवसर सुलभ होने में सहायता प्राप्त हुई तथा पूर्व परिस्थिति की अपेक्षा वर्तमान में बालिकाओं में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है।

शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत तालिका क्रमांक 1.3.1 में दर्शाया गया है–

तालिका क्रमांक 1.3.1

2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत–

देश एवं प्रदेश	कुल साक्षरता			ग्रामीण साक्षरता			शहरी साक्षरता		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
भारत	65.38	75.16	54.40	59.40	71.40	46.70	80.30	86.70	73.10
मध्य प्रदेश	64.08	76.50	50.55	58.10	71.10	42.90	79.67	87.78	70.62

(मेन्युल रिपोर्ट : लिटेरसी केम्पिन इन इडिया, नई दिल्ली)

वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला का साक्षरता प्रतिशत कम है। जिसे योजनाओं के सहीं क्रियान्वयन द्वारा बढ़ाने जाने की आवश्यकता है।

तालिका क्रमांक 1.3.2

अनुसूचित जाति एवं जनजाति का साक्षरता प्रतिशत

देश एवं प्रदेश	अनुसूचित जाति का साक्षरता प्रतिशत			अनुसूचित जनजाति का साक्षरता प्रतिशत		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
भारत	58.33	72.33	43.28	47.1	59.17	34.76
मध्य प्रदेश	54.69	54.69	66.40	41.90	53.55	28.44

(मेन्युल रिपोर्ट : लिटेरसी केम्पिन इन इडिया, नई दिल्ली)

1.4 नवीन प्रयास –

प्राथमिक शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समय समय पर अनेक प्रयास किए है तथा यह प्रयास वर्तमान में भी किए जा रहे है। ताकि प्राथमिक शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा में गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों को बढाया जा सके। जिसके अंतर्गत सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा, मध्याह्न भोजन, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, महिला समाख्या, औपचारिकेत्तर शिक्षा, एन.पी.ई.जी.ई.एल. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राजीवगांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, पढ़ना बढ़ना आंदोलन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यूनीसेफ आदि योजनाएँ चलाई जा रही हैं। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के सुधारण हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तथा वर्तमान में पारित विधेयक शिक्षा का अधिकार 2009 प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास है।

- **सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)**– योजना 2001 में प्रारंभ की गई एक राष्ट्रीय योजना के रूप में यह देश के सभी जिलों में लागू की गई है। एस.एस.ए. का उददेश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयुवर्ग वाले सभी बच्चो को उपयोगी एवं प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है।
- सन् 2005 तक सभी स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों, ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चें।
- सभी प्रकार के लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 तक तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर पर समाप्त करना है।
- 2010 तक सभी के लिए शिक्षा तथा जीवन शिक्षा हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए संतोषपद्र गुणवत्ता की प्राथमिकता शिक्षा पर बल दिया गया है।

- **शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षाः-** शिक्षा, गारंटी तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा (ई.जी.एस.ए. तथा आई.ई) स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाने का सर्वशिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है। ई जी एस के अंतर्गत स्कूली शिक्षा से, अभी तक वंचित बच्चों के लिए अलग से योजना बनाने का प्रावधान है। ई जी एस दुर्गम क्षेत्र में निवास करने वाले 6-14 वर्ष के वे बच्चे जो विद्यालय नहीं जा पाते, शिक्षा प्रदान करना है। वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा समाज के वंचित वर्ग के बच्चे जैसे बाल श्रमिक, सड़को पर जीवन यापन करने वाले बच्चे, प्रवासी बच्चे तथा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले और 9 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बनाई गई है।

- **मध्याह्न भोजन योजना :-** प्राथमिक स्तर पर नामांकन बढ़ाने, नामांकित बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने और उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ किया गया है। तथा वर्तमान में भी देश के विभिन्न भागों में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।

- **राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम :-** यह केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया है। उसका मुख्य उददेश्य अतिरिक्त उपक्रमों के माध्यम से प्रांरभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को अधिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बस्तीस्तर पर शिक्षा प्रशिक्षण, प्रतिवर्ष प्रतिबालिका 150 रूपए की विद्यमान अधिकतम सीमा के अंतर्गत अन्य किसी स्थानीय तौर पर महसूस की जाने आवश्यकता को पूरा करना, मुक्त विद्यालयों के माध्यम से पढ़ाई करना, छात्राओं का मूल्याकंन तथा उनकी अध्ययन संबंधी समस्याओं को हल करने संबंधी शिक्षण प्रमुख है।

- **राष्ट्रीय साक्षरता मिशनः-** इस मिशन की स्थापना मई 1988 में कि गई उसके अंतर्गत महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार देश के 47 जिलों में महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से नीचे है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य 117 स्वयं सेवी संगठनों के नेटवर्क को सौंपा गया। इसका उद्देश्य मुख्यतः महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाना है।

- **महिला समाख्या योजना** :- यह कार्यक्रम सन् 1989 से प्रारंभ हुआ है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों खासकर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ की गई। महिला संघ गांव स्तर पर महिलाओं को मिलने, सवाल करने और अपने विचार रखने तथा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के अलावा अपनी इच्छाओं को भी व्यक्त करने का स्थान मुहैया कराते है। मुख्यतः महिला समानता तथा महिलाओं को शिक्षित करना इस योजना का उददेश्य है।

- **औपचारिकेत्तर शिक्षा** :- इस समय पूरे देश में 2.92 लाख औपचारिकेत्तर शिक्षा के केन्द्र है, जिसमें 73,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। यह 25 राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में फैले हुए है जिसमें 1. 15 लाख केन्द्र केवल बालिकाओं के लिए सुरक्षित है।

- **NPEGEL (नेशनल प्रोग्राम फार गर्ल्स इलेमेन्ट्री एजुकेशन)**:- बालिका शिक्षा हेतु प्रारंभिक एन.पी.ई.जी.ई.एल. सन् 2003 में गठित किया गया है। यह मध्यप्रदेश में प्रारंभिक बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में जिले के उन विकासखंडों का चयन किया जाना है। जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 46.7 प्रतिशत से कम है। जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला

साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है। उक्त आधारों पर विकासखंडो को चयनित कर बालिका शिक्षा के विकास हेतु प्रयास किए जाते है।

- **राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन :–** शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक पहुँच तथा बच्चे के विद्यालय में नामांकन के लिए प्रदेश में राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की स्थापना की गई थी। मध्यप्रदेश राज्य के 45 में से 34 जिलों को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के तहत मिशन ने दो करोड़ पचास लाख से अधिक अमेरिकन डालर की बाहरी सहायता प्राप्त की। इन संसाधनों का उपयोग सुविधाएँ तथा पाठ्यक्रमों का विकास करने में किया गया। इस मिशन के माध्यम से घर–घर जाकर विद्यालय न जाने वाले बच्चों का सर्वेक्षण किया गया तथा प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं संबंधी जानकारी एकत्रित की गई तथा आवश्यक एवं प्रभावी शैक्षणिक कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से कियाविन्त किए गए।
- **पढ़ना–बढ़ना आर्दोलन :–** यह कार्यक्रम सन् 1999 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत निरक्षर व्यक्तियों की 2 लाख 17 हजार समितियों का गठन किया। इन समितियों ने पढ़े–लिखे स्थानीय व्यक्तियों को अपना गुरूजी बनाया। राज्य शासन् ने शिक्षा मिशन के माध्यम से इस पढ़ना–बढ़ना समिति के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की। इसकी प्रथम सफलता 30 लाख लोगों का साक्षर हो जाना थी।
- **ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड :–** ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (1987–1988) के अंतर्गत भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1,22890 शिक्षकों विशेषतः महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 1993 तक 57 प्रतिशत महिला शिक्षिका थी। योजना के लिए 90 प्रतिशत सहायता राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा केन्द्र

प्रदान करता है। वर्तमान तक राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा केन्द्रों की संख्या 82000 है।

- भारत में यूनीसेफ द्वारा सहायता प्राप्त महत्वपूर्ण संस्था है, जो विकास का कार्य कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेन्ट, इसका कार्यक्षेत्र बाल विकास, महिला विकास तथा स्त्री शिक्षा से संबंधित है।

1.5 शिक्षा का अधिकार विधेयक (2009):-

सन् 2002 में बने 86 वे संविधान संशोधन अधिनियम के भाग तीन (मूलभूत अधिकार) के अनुच्छेद 21 ए अंतर्गत 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही गई है। इसके अनुसार -''कानून, संकल्प द्वारा राज्य अपने अनुरूप'' 6 से 14 वर्ष तक की आयुवर्ग के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

'शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009' के रूप में यह 5 अगस्त सन् 2009 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के कार्यकाल में पारित किया गया तथा वर्तमान में यह प्रभाव में है। इस विधेयक की निम्नलिखित विशेषताएँ है -

1. देश के सभी 06 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
2. प्राथमिक स्तर अर्थात् कक्षा आठवी की शिक्षा पूर्ण होने से पहले किसी भी विद्यार्थी को कक्षा से बाहर नहीं निकाला जाएगा।
3. कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा तथा उन्हें दसवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए योग्य समझा जाएगा।
4. अध्यापक एवं छात्र इनका प्रमाण निश्चित करके उस पर कठोर रूप से अमल किया जाएगा।

5. देश के सभी प्रायवेट स्कूलों में आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर विद्यार्थियों के लिए 25% जगह आरक्षित की जाएगी एवं इन बच्चों के पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी।

6. शालेय शिक्षा विशेषतः माध्यमिक शिक्षा का दर्जा बढ़ाने के लिए विशेषरूप से प्रयास किए जायेंगे।

7. वह अध्यापक जो वर्तमान में विद्यालयों में कार्यरत है एवं जिनके पास पर्याप्त पात्रता नहीं है उन्हें 5 वर्ष के अंदर अपनी पात्रता पूर्ण करनी होगी।

8. तीन वर्ष के भीतर सभी विद्यालयों को आधारभूत सुविधाएं एवं सुधार किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा विद्यालयों की मान्यता समाप्त होने का खतरा होगा।

9. शैक्षणिक कार्य दिवस व शिक्षकों के कार्य के घण्टों आदि के लिए मानकों का निर्धारण इस विधेयक के अंतर्गत किया गया है। तथा शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन लेने पर भी पाबंदी होगी।

10. बच्चों में शारीरिक दण्ड देने, प्रवेश के समय बच्चों या उनके अभिभावकों की स्क्रीनिंग करने, कैपीटेशन फीस लेने तथा विद्यार्थियों को विद्यालय से निष्कासित करने आदि को इस विधेयक में प्रतिबंधित किया गया है।

11. जनगणना चुनाव कार्य व आपदा राहत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए शिक्षकों को लगाए जाना इस विधेयक में प्रतिबंधित किया गया है।

शिक्षा का अधिकार विधेयक सम्पूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जा रहा है।

1.6 राष्ट्रीय पाठ्य चर्या की रूपरेखा–2005 :–

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005, के अन्तर्गत वर्तमान विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम में सुधार संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए गए है। साथ ही बच्चों को क्या पढ़ाया जाए? तथा किस प्रकार पढ़ाया, जाए? जैसे प्रश्नों का उत्तर भी विद्यमान है। 'शिक्षा बिना बोझ के' (लर्निंग विदाउट बर्डन) ने पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों की रूपरेखा में विशेष परिवर्तन लाने की सिफारिश की है। भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा आवास और सीखना, अध्ययन और आंकलन की योजनाएँ, आकलन तथा मूल्यांकन के पाठ्यक्रम की ओर ध्यान केन्द्रित कर सुझाव प्रस्तुत किए गए है। इसके साथ ही ज्ञान और सीखना, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार, परीक्षा सुधार भी पाठ्यचर्या के मुख्य बिन्दु है।

शोध अध्ययन से संबंधित बालिका शिक्षा तथा ढांचागत सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित उल्लेख मिलता है।

(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005) "समानता के व्यवहार या लड़कियों के लिए समान अवसर के संबंध में औपचारिक दृष्टिकोण अपर्याप्त है। आज एक कारगर दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है, ताकि परिणामों में समानता आए और जिसमें विविधता, विभेद और असुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए।

समानता की दिशा में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका यह समझी जाती है कि यह सभी शिक्षार्थियों को अपने अधिकारों की दिशा में सजग बनाए ताकि वे समाज तथा राजनीति में अपना योगदान कर सके। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उन अधिकारों और सुविधाओं को तब तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक केन्द्रिय मानवीय क्षमताओं का विकास न हो जाए। इसलिए हाशिए पर ढकेल दिए गए समाज के विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों के लिए यह मुमकीन होना चाहिए कि वह अपने

अधिकारों का दावा कर सकें और सामूहिक जीवन को सक्रिय रूप देने में सक्रिय भूमिका अदा कर सके। इसके लिए शिक्षा को ऐसा होना चाहिए कि वह उनमें यह सामर्थ्य दे सके कि वे असमान समाजीकरण के नुकसान की भरपाई कर सके और अपनी क्षमताओं का इस प्रकार विकास कर सके कि वे आगे चलकर स्वायत्त और समान नागरिक बन सके।'' (पृष्ठ क्रमांक–6)

''ढांचागत सुविधाएँ ' शिक्षार्थियों के लिए अनुकूल स्थितियाँ बनाने व गतिविधि केन्द्रित संदर्भ उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी है। स्थान, भवन तथा फर्नीचर संबंधी नियम व मानक तय करने से गुणवत्ता की समझ भी पुष्ट होगी।'' (पृष्ठ क्रमांक–91)

उपरोक्त योजनाओं एवं प्रयासों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का स्तर एवं बालिका शिक्षा का साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

1.7. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिकाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का एक प्रयास है, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा एवं आवास का प्रबंध है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

भारत सरकार ने देशभर में 1180 विद्यालयों की स्थापना के साथ अगस्त 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूवात की, जो प्रथम 2 वर्ष तक एन.पी.ई.जी.एल. (नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स इलेमेन्ट्री एजुकेशन), एस.एस.ए. (सर्वशिक्षा अभियान), एम.एस. (महिला सामाख्या) के सहयोग से क्रियान्वित हुआ। वर्तमान में यह सर्वशिक्षा अभियान के एक प्रथक घटक के रूप में अप्रैल 2007 से लागू है।

यह योजना 2004 के निरीक्षण से लागू है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए विकासखण्ड जहाँ महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से नीचे (46.13 प्रतिशत, 2001 की जनगणना) है और लिंग का अन्तर राष्ट्रीय औसत (21.59 प्रतिशत 2001 की जनगणना) से ज़्यादा है। ऐसे विकासखण्डों में विद्यालय स्थापित किया जाना है।

विद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाली बालिकाओं को लेने का प्रावधान है।

75 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएँ तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी बालिकाऐं जो प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूर्ण करने में अक्षम है।

1.7.1 योजना के ध्यात्व्य बिन्दुः-

1. कम साक्षरता वाली आदिवासी महिला जनसंख्या या वह बालिकाएं जो स्कूल से बाहर है।
2. अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की कम साक्षरता वाली बालिकाएँ।
3. ऐसे क्षेत्र जहाँ महिला साक्षरता दर कम है।
4. ऐसा क्षेत्र जहाँ बालिकाएँ घर दूर होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है।

1.7.2 योजना के घटक :-

1. प्रारंभ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की 50 बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय खोलना।
2. इन विद्यालयों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना।
3. आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री प्रदान करना।
4. शैक्षिक सहायता तथा मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र की स्थापना करना।

5. बालिकाओं को तथा उनके परिवारों को बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना।

6. ऐसी बालिकाएँ जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की उम्र से अधिक तथा जो कठिन क्षेत्रों (खानाबदोश या बिखरी हुई प्रजाति) में निवास करती है, ऐसी बालिकाओं को भी लक्ष्य रखा गया है।

7. ऐसी बालिकाएँ जो उच्च प्राथमिक स्तर पर नियमित विद्यालय नहीं जा पाती उन्हें सुविधा प्रदान करना।

8. 75% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को लेने का प्रावधान है।

9. इन विद्यालयों को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेना।

वर्तमान में निम्नलिखित राज्यों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किए जा रहे है-

- असम
- आंध्रप्रदेश
- अरूणाचल प्रदेश
- बिहार
- झारखण्ड
- दिल्ली
- गुजरात
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- जम्मू और कश्मीर
- केन्द्रशासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली
- मढ़ीपुर
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- मेघालय
- मिजोरम
- उड़ीसा
- पंजाब
- राजस्थान
- तमिलनाडू

- लक्ष्यद्वीप
- मध्यप्रदेश
- छत्तीसगढ़
- केरल
- त्रिपुरा
- उत्तरप्रदेश
- उत्तराखण्ड
- पश्चिम बंगाल

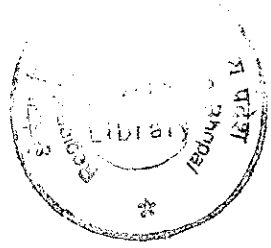

1.7.3 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्यः-

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैः-

1. शिक्षा के दृष्टी से वंचित क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
2. बालक-बालिकाओं के बीच शिक्षा की दृष्टी से अंतर को समाप्त करना।
3. बालिकाओं को प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना करना।
4. बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विश्वास बढ़ाना तथा आत्मनिर्भर बनाना।
5. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

1.7.4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रमुख लक्ष्य -

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रमुख लक्ष्य बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा है जिसके अंतर्गत वे बालिकाए जो-

1 प्रारंभिक शिक्षा में अध्ययनरत बालिकाएँ जो स्थानीय कारणों से विद्यालय नहीं जा पाती है।

2 गरीबी एवं पलायन के कारण विद्यालय में प्रवेश नहीं लेने वाली बालिकाएँ।

3 नदी, नाले एवं जंगल आदि के कारण प्रारंभिक शिक्षा से वंचित बालिकाएँ।

4 अभिभावक नहीं होने के कारण शिक्षा से वंचित बालिकाएँ।

1.7.5 रणनीति एवं प्रचार प्रसार –

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए जाते हैः–

1 सभी स्तरों पर प्रचार–प्रसार किया जाता है।

2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के क्रियान्वयन के लिए जिला, विकासखण्ड, जनशिक्षा केन्द्र स्तरीय अमलों के साथ वार्डन तथा सहायक वार्डन का भी उन्मुखीकरण किया जाता है।

3 ऐसे स्थान जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किए जाते है वहां के विकासखण्ड स्तर पर।

- जनशिक्षा का उन्मुखीकरण।
- पालक शिक्षक संघ की बैठकों का आयोजन
- संकुल स्तर पर विशेष बैठकों का आयोजन।
- जनप्रतिनिधियों की बैठकें।
- समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन के स्थानीय चैनल के माध्यम से भी योजना का प्रचार प्रसार किया जाता है।
- सम्पर्क कार्यक्रम
- मोटीवेशन कैम्पों का आयोजन।

1.7.6 योजना का क्रियान्वयन एवं मूल्याकन :-

1. सर्वप्रथम राज्य एवं जिला स्तर पर इसका क्रियान्वयन किया गया, जिसमें पहले इसे महिला समाख्या की सहायता से चलाया गया, जहाँ महिला समाख्या नहीं था वह एन.पी.ई.जी.ई. एल. की सहायता से चलाया गया।

   वर्तमान में यह सर्वशिक्षा अभियान के एक प्रथक घटक के रूप में अस्तित्व में है।

2. कर्मचारी एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षण हेतु डाइट (जिला शिक्षण संस्थान), बी.आर.सी. (ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर) और महिला समाख्या रिसोर्स ग्रुप है।

1.7.7. योजना हेतु राज्य सहायता समूह-

एन.पी.ई.जी.ई.एल.(नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स इलेमेन्ट्री एजुकेशन) के अंतर्गत एक सलाहकार समिति कार्यक्रम को दिशा और सहायता देने के लिए होती है, जिसमें राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के सदस्य, बालिका शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं शिक्षाविद् होते है। योजना की प्रगति एवं स्कूल की स्थापना के लिए इन सदस्यों की सलाह ली जाती है।

1.7.8 योजना हेतु राष्ट्रीय सहायता समूह :-

योजना की अवधारणा, नीति बनाने एवं सलाह देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महिला समाख्या के अंतर्गत एन.आर.जी. (नेशनल रिसोर्स ग्रुप) की स्थापना की गई है।

1.8 मध्यप्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय :-

वर्तमान मे म.प्र. के 48 में से 44 जिलों में 185 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है। इन समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इस वर्ष 2008-09 में सीटों संख्या बढ़ाकर 50 से 100 की गई है। क्षमता वृद्धि के पीछे उद्देश्य यह है कि ऐसी बालिकाएँ जो शाला से बाहर है या सामाजिक या आर्थिक कारणों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती उन्हें ज्यादा संख्या में इन सुविधाओं द्वारा लाभान्वित करना है।

तालिका क्र.1.8.1

म.प्र. में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विवरण–

क्र.	जिला	संख्या	विकास खण्ड का नाम–
1.	श्योपुर	3	विजयपुर, श्योपुर, कराहल
2.	मुरैना	5	मुरैना, पहाड़गढ़, जौरा कैलारस, सबलगढ़
3.	भिण्ड	1	गेहद
4.	ग्वालियर	4	भितरवार, घाटीगांव, गिर्द, डबरा
5.	शिवपुरी	7	शिवपुरी,खनियाधाना, पिछोर, बदरवास करेरा, कोलारस, पोहरी
6.	गुना	4	बमोरी, आरोन, चाचौड़ा, राघोगढ़
7.	अशोकनगर	4	ईसागढ़, अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली
8.	दतिया	0	
9.	देवास	6	देवास, टोंकखुर्द, बागली, कन्नौद, खातेगांव, सोनकच्छ
10.	रतलाम	2	बाजना, सैलाना
11.	शाजापुर	2	बड़ौद, आगर
12.	मंदसौर	2	गरोठ, भानपुरा
13.	नीमच	3	मनासा, जावद, नीमच
14.	उज्जैन	4	घटिया, खाचरोद, महिदपुर, उज्जैन
15.	इंदौर	3	महू, सांवेर, देपालपुर
16.	धार	11	बाग, सरदारपुर, बदनावर, धार, बाकानेर/ उमरबन, धरमपुरी, मनावर, नालछा, निसरपुर, तिरला
17.	झाबुआ	5	झाबुआ, थांदला, पेटलावद, मेघनगर, रामा
18.	खरगौन	0	
19.	बड़वानी	1	पनसेमल
20.	खण्डवा	4	बलड़ी, हरसूद, पंधाना, खालवा
21.	बुरहानपुर	2	खकनार, बुरहानपुर
22.	भोपाल	1	बैरसिया
23.	सीहोर	3	आष्टा, इछावर, सीहोर
24.	रायसेन	0	
25.	राजगढ	6	ब्यावरा, जीरापुर, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, राजगढ़ सारंगपुर
26.	विदिशा	4	नटेरन, गंजबासोदा, लटेरी, सिरोंज

क्र.	जिला	संख्या	विकास खण्ड का नाम–
27.	बैतूल	4	शाहपुर, आठनेर, भीमपुर, घोडागोंगरी
28.	होशंगाबाद	3	सोहागपुर, बाबई, बनखेडी
29.	हरदा	1	खिरकिया
30.	सागर	7	बड़ा, रहेली, शाहपगढ़ बीना, मालथोन, केसली, खुरई
31	दमोह	7	जबेरा, दमोह, तेदुखेडा, पटेरा, बटियागढ़ हटा, पथरिया
32.	पन्ना	3	अजयगढ़, पन्ना, पवई
33	छतरपुर	8	राजनगर, छतरपुर, बडामल्हरा, बक्स्वाहा, गौरीहार, बिजावर, लौंडी, नोगांव
34	टीकमगढ़	6	टीकमगढ, बल्देवगढ, पृथ्वीपुर, निवाडी, जतारा पलेरा
35	जबलपुर	2	कुण्डम, शाहपुर
36	कटनी	6	रीठी, मरवाहा (कटनी) बड़वारा, बहोरीबंद विजयराघवगढ़, ढीमरखेडा
37	छिंदवाड़ा	5	तामिया, अमरवाडा, परासिया, जामई, हर्रई
38	नरसिंहपुर	0	
39	सिवनी	2	छपारा, लखनादौन
40	मंडला	7	मेहगॉव, बिछिया, मबई, निवास, नारायणगंज, बीजाडांडी, घुघडी
41	डिण्डोरी	7	समनापुर, अमरपुर, करन्जिया, बजाग, मेहदवानी, डिण्डोरी, शाहपुर
42	बालाघाट	2	बिरसा, बैहर
43	रीवा	6	जवा, नईगढ़ी हनुमना, गंगेव, मउगंज, त्यौथर
44	शहडोल	5	जयसिंहनगर, पाली, ब्योहारी, जैतपुर, सोहागपुर
45	अनुपपुर	3	अनुपपूर, कोतमा, जैतहरी,
46	उमरिया	2	बांधवगढ़ (उमरिया), पाली
47	सीधी	8	सिंहावल, मझौली, रामपुरकनैकीन, बैढ़न, चितरंगी, दवेसर, कुसमी, सीधी
48	सतना	4	उचेहरा, चित्रकुट मैहर, रामनगर
	कुल	185	

(Retrieved from www.ssa.nic. on date 19-12-2009)

7. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, कक्षा 8वीं की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शैक्षिक सुविधाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।

1.13 परिकल्पनाएँ :-

1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कचनारी, बिरसा, तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परसामऊ, बैहर के कक्षा 8वीं की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है।

2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कचनारी, बिरसा तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परसामऊ, बैहर के कक्षा 8वीं की बालिकाओं को प्राप्त भौतिक सुविधाओं के उपयोग में सार्थक अंतर नहीं है।

3. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कचनारी, बिरसा तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परसामऊ, बैहर के कक्षा 8वीं की बालिकाओं को प्राप्त शैक्षिक सुविधाओं के उपयोग में सार्थक अंतर नहीं है।

4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कचनारी, बिरसा के कक्षा 8वीं की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि तथा भौतिक सुविधा के उपयोग के मध्य सार्थक संबंध नहीं है।

5. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कचनारी, बिरसा के कक्षा 8वीं की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि तथा शैक्षिक सुविधा के उपयोग के मध्य सार्थक कोई संबंध नहीं है।

6. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परसामऊ, बैहर के कक्षा 8वीं की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि तथा भौतिक सुविधा के उपयोग के मध्य सार्थक संबंध नहीं है।

7. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परसामऊ, बैहर के कक्षा 8वीं की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि तथा शैक्षिक सुविधा के उपयोग के मध्य सार्थक संबंध नहीं है।

1.9. समस्या कथन :

" कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि तथा भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाओं के उपयोग का अध्ययन "

1.10. अध्ययन की आवश्यकता :–

विद्यालय में शिक्षा का वातावरण निर्मित करने में भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाओं का बहुत महत्व है। यह पढने में रूचि एवं निराश दोनों ही उत्पन्न करने में सक्षम होता है जिसका प्रभाव विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर दिखाई देता है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य वंचित वर्ग की बालिकाएँ (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली बालिकाएँ) को शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उनकी शैक्षिक एवं सामाजिक प्रगति करना है। बालिकाओं को दि जाने वाली शैक्षिक एवं भौतिक सुविधाएँ , पर्याप्तता एवं बालिकाएँ इन सुविधाओं का उपयोग उद्देश्य के अनुरूप कर पाती है या नहीं, इसका अध्ययन करना और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सामग्री के उपयोग में यदि कोई कमी है तो इसे दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है यह जानने के लिए इस विषय पर अध्ययन आवश्यक हैं।

बालिका शिक्षा के क्षेत्र में यह नई योजना है, जिसमें वर्तमान में बालिकाओं को स्कूल छोड़ने कारण, बालिकाओं के नांमाकन, समाज की स्त्री शिक्षा में भूमिका, विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं पर योजना का प्रभाव आदि विषयों पर अध्ययन किया जा रहा है। अतः बालिकाओं के लिए खोले गए इन विद्यालयों में बालिकाओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं का अध्ययन भी आवश्यक है जिसका सीधा प्रभाव बालिकाओं के विकास पर पड़ता है।

1.11. शोध प्रश्न :-

1. क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध है?

2. क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध है?

3. क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सभी प्रकार की भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के अनुरूप बालिकाओं द्वारा उपयोग किया जाता है?

4. क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता के अनुरूप बालिकाओं द्वारा उपयोग किया जाता है?

5. क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का स्तर उन्हें प्राप्त भौतिक सुविधाओं के अनुरूप है?

6. क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का स्तर उन्हें प्राप्त शैक्षिक सुविधाओं के अनुरूप है?

1.12 अध्ययन के उद्देश्य:

1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 8वीं की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।
2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 8वीं की बालिकाओं को प्राप्त भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना।
3. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 8वीं की बालिकाओं को प्राप्त शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन करना।
4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 8वीं की बालिकाओं द्वारा भौतिक सुविधाओं के उपयोग का अध्ययन करना।
5. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 8वीं की बालिकाओं द्वारा शैक्षिक सुविधाओं के उपयोग का अध्ययन करना।
6. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, कक्षा 8वीं की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि पर भौतिक सुविधाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।

1.14 परिचालक परिभाषाएँ :–

शोध अध्ययन में प्रयुक्त प्रमुख पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण निम्नानुसार है–

1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय,
2. शैक्षिक उपलब्धि,
3. भौतिक सुविधाएँ ,
4. शैक्षिक सुविधाएँ तथा
5. भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाओं का उपयोग।

1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयः

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा सन् 2004 में प्रस्तावित एवं कार्यांवित बालिकाओं का आवासीय विद्यालय है, जो सर्वशिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा के एक घटक के रूप में है।

यहॉ 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली 25 प्रतिशत बालिकाओं के लिए शिक्षा एवं आवास की व्यवस्था प्राथमिक स्तर तक की गई है।

2. शैक्षिक उपलब्धि :

शैक्षिक उपलब्धि से आशय कक्षा 8वी के बालिकाओं के पूर्व कक्षा में उन्हें प्रदत अंको से हैं। यह बालिकाओं द्वारा विद्यालय में किए गए कार्य का प्रतिफल है या प्राप्त ज्ञान या शालेय विषयों में विकसित प्रवीणता या कुशलता से होता है जो कि प्रायः परीक्षणों में प्राप्त अंकों द्वारा या शिक्षक द्वारा दिए अंको द्वारा निश्चित किया जाता है।

3. भौतिक सुविधाएँः

बालिकाओं को प्राप्त सुविधाएँ जिसमें विद्यालय का भवन, निजी उपयोग की वस्तुएँ ; वस्त्र, साबुन, बर्तन, फर्नीचर(कुर्सी,मेज, पंलग), भोजन, स्वास्थ्य सुविधा, यूनिफार्म, खेलकूद की सामग्री, दूरभाष्, लाइब्रेरी, वर्कशाप आदि।

4. शैक्षिक सुविधाएँ :

शैक्षिक सुविधाएँ वह सुविधाएँ जो उनके पठन–पाठन में सहायक है जैसे बस्ता, कापी, पेन, रजिस्टर, व्यक्तिगत डायरी, किताबें, शिक्षिकाएँ (यह शिक्षिकाएँ प्रत्येक विषयों कें अध्ययन कराने हेतु नियुक्त की गई है।) कम्प्यूटर आदि।

5. भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाओं का उपयोग :–

उपरोक्त वर्णित भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाएँ जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को प्रदान की गई है एवं बालिकाओं द्वारा सुविधाओं का व्यवहार में प्रयोग किया जाना ही उपयोग है।

1.15 अध्ययन सीमा एवं परिसीमा :–

1 मध्यप्रदेश में बालाघाट जिलें के बैहर तहसील (185, म.प्र.) के बिरसा एवं बैहर विकासखण्ड में स्थित दो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का चयन किया गया है।

2 200 बालिकाओं में से लगभग 30 बालिका पर यह अध्ययन किया गया है।

3 कक्षा 6–8 तक की कक्षा में कक्षा 8वी की बालिकाओं पर यह अध्ययन किया गया है।